भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1894
बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>अपशिष्ट-से-ऊर्जा संबंधी संयंत्रों की स्थिति</u>

1894. श्री अतुल गर्गः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गाजियाबाद नगर निगम (जीएमसी) में नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए प्रस्तावित अपशिष्ट-से-ऊर्जा संबंधी संयंत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस हेतु अपनाई गई प्रौद्योगिकी और परिकल्पित विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन के संबंध में स्थानीय निवासियों की पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) गाजियाबाद जिले की सब्जी मंडियों में चल रहे जैव-मीथेनीकरण संयंत्रों की स्थिति क्या है; और

(ङ) गाजियाबाद शहर में वेस्ट टू वेल्थ मिशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, गाजियाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। सीपीसीबी ने मई 2024 में मसूरी, दीनानाथपुर, गाजियाबाद में स्थापित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण किया है। इस संयंत्र को कपड़ा निर्माण के लिए 25 लाख किलो कैलोरी/घंटे की ताप ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक कैप्टिव सुविधा के रूप में एक मौजूदा कपड़ा इकाई में स्थापित किया गया है, और संयंत्र में लगभग 75 टीपीडी आरडीएफ संसाधित किया जा रहा है।

जबकि, गाजियाबाद नगर निगम (जीएनएन) द्वारा दी गई सूचना अनुसार, जीएनएन के 2300 टीपीडी ठोस अपशिष्ट के शोधन के लिए गांव गालंद में अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र स्थान में बायो-फेंसिंग उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त**,** प्रस्तावित अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र नगरपालिका

ठोस अपशिष्ट के उपचार और निपटान के लिए पारंपरिक अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रसंस्करण मॉडल को अपनाएगा और संयंत्र की क्षमता 50-60 मेगावाट की सीमा में होगी।

(ग) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत शामिल होते हैं। इन नियमों में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार और अनुपालन के लिए नियमित निगरानी को अनिवार्य किया गया है। नियमों में प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्थानीय निवासियों **तथा** अन्य जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लीचेट उपचार, संयंत्र द्वारा उत्सर्जन और न्यूनतम दहन तापमान तथा गैस रेसिडेन्स समय सहित परिचालन मापदंडों के लिए कड़े मानक भी निर्धारित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, जीएनएन द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, परियोजना के प्रस्तावकों को संयंत्र का प्रचालन शुरू करने से पूर्व एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)/सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) प्राप्त करना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ): वर्तमान में, गाजियाबाद की सब्जी मंडियों में कोई विशिष्ट बायो-मिथेनेशन सुविधा स्थापित नहीं की गई है।

गाजियाबाद शहर में वेस्ट टू वेल्थ मिशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल के तहत, जीएनएन द्वारा शुरू की जा रही गतिविधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

<u>**अनुलग्नक-I**</u>

'अपशिष्ट-से-ऊर्जा संबंधी संयंत्रों की स्थिति' के संदर्भ में पूछे गए दिनांक 11.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1894 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

गाजियाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण:

परियोजना/संयंत्र का प्रकार	**स्थान**	**परियोजना की संख्या**	**परियोजना की स्थापित क्षमता (टीपीडी में)**
अपशिष्ट से ऊर्जा*	मसूरी, दीनानाथपुर,	1	75
विंडरो कम्पोस्टिंग	जगजीवनपुर,	1	400
विंडरो कम्पोस्टिंग	मोना-मेरठ रोड,	1	800
सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (MRF) / कचरा कारखाना	रायत मंडी, हिंडन विहार	1	200
सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (MRF) / कचरा कारखाना	सिहानी	1	200

विंडरो कम्पोस्टिंग प्लांट: *यह जैविक कचरे–जैसे कि गोबर, बगीचे का कचरा और नगरपालिका के ठोस कचरे–को वायवीय अपघटन (Aerobic decomposition) के लिए लंबी, संकीर्ण, ऊँची पंक्तियों (विंडरो) में व्यवस्थित करके संसाधित करता है।*

** उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिनांक 22.07.2025 के पत्र द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, इकाई को बंद कर दिया गया है।*

<u>**अनुलग्नक-II**</u>

'अपशिष्ट-से-ऊर्जा संबंधी संयंत्रों की स्थिति' के संदर्भ में पूछे गए दिनांक 11.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1894 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

गाजियाबाद शहर में वेस्ट टू वेल्थ मिशन को बढ़ावा देने के लिए गाजियाबाद नगर निगम (जीएनएन) द्वारा शुरू की गई गतिविधियों का विवरण:

- सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ): गाजियाबाद नगर निगम (जीएनएन) ने शहर में शुष्क कचरे की वैज्ञानिक छँटाई, गांठें बनाने और पुनर्चक्रण के लिए एमआरएफ की स्थापना की है और संचालन कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कागज, प्लास्टिक, धातु और कांच जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को लैंडफिल से दूर रखा जाए और उत्पादक रूप से पुन: उपयोग में लाया जाए।
- विरासत अपशिष्ट उपचार: जीएनएन ने पारंपरिक पुराने डंप के कब्जे वाली शहरी भूमि को पुनः प्राप्त करने, 15.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का उपचार करने और 3.43 लाख पेड़ लगाकर मियावाकी वन बनाने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिससे पर्यावरणीय खतरों को कम किया जा सके और वेस्ट टू वेल्थ दिशानिर्देशों के अनुसार, उपयोग करने योग्य शहरी स्थान बनाए जा सकें।
- अपशिष्ट पुनर्चक्रण पहल: जीएनएन ने एक समर्पित ग्लास पुनर्चक्रण इकाई स्थापित की है और उसका परिचालन कर रहा है, जहां बेकार पड़े कांच के कचरे को संसाधित करके पुन: प्रयोज्य, मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, और साथ ही, ऐसी प्रणालियां भी शुरू की हैं जिनके माध्यम से प्लास्टिक कचरे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पाइप जैसी टिकाऊ वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है और लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आती है।
- प्राकृतिक पेंट इनोवेशन: गोबर के अपशिष्ट को जैविक, गैर-विषैले, गंधहीन रूफटॉप पेंट में परिवर्तित किया जा रहा है, जो घर के अंदर के तापमान को 2-3 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। नंदग्राम गौशाला में स्थित यह प्रायोगिक सुविधा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित है और इसने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज़ मेयर्स चैलेंज 2025 में गाजियाबाद को विश्व स्तर पर शीर्ष 50 शहरों में चयनित होने में योगदान दिया है।
- टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (टीएसटीपी): जीएनएन ने अपशिष्ट जल को गैर-पीने योग्य शहरी और औद्योगिक उपयोगों के लिए पुन: प्रयोज्य संसाधन में परिवर्तित करने के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप के रूप में एक टीएसटीपी को कार्यशील किया है। भारत के पहले प्रमाणित

ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से वित्तपोषित, यह पहल शहर को एक रैखिक "ट्रीट-एंड-डिस्चार्ज" दृष्टिकोण से अपशिष्ट-से-संसाधन मॉडल में स्थानांतरित करती है, जो एक स्केलेबल, जलवायु-लचीले शहरी जल पुन: उपयोग फ्रेमवर्क का प्रदर्शन करते हुए, मीठे पानी और भूजल निष्कर्षण को कम करती है।

- जन जागरूकता को मजबूत करने और सतत अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए, जीएनएन ने अपशिष्ट-से-कला मूर्तिकला कार्यों के विकास के लिए अपने नगरपालिका बजट में 2 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है। इस पहल के तहत, सड़क चौराहों, सार्वजनिक पार्कों, फ्लाईओवर, सार्वजनिक प्लाजा आदि सहित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर स्क्रैप, फेंकी गई सामग्री और पुनर्चक्रण योग्य कचरे से बनी विषयगत मूर्तियां, कला प्रतिष्ठान और रचनात्मक संरचनाएं स्थापित की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य न केवल शहरी परिदृश्य को सौंदर्यपूर्ण रूप से बेहतर बनाना है, बल्कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन के सिद्धांतों को प्रदर्शित करना भी है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि अपशिष्ट को सांस्कृतिक रूप से सार्थक सार्वजनिक संपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है।

*****